

कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला - मुंगेली (छ.ग.)

क्र./तक.-4/WCDC/संवि.नियु./2024-25/ ५७०७ मुंगेली, दिनांक ८/१/2025

// प्रेस विज्ञप्ति //

विषय :- WDC-PMKSY 2.0/1 सोनपुरीनाला मुंगेली/पथरिया अंतर्गत रिक्त संविदा पद पर WDT सदस्य यांत्रिकी एवं WDT सदस्य समूह विकास की भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये जाने बाबत।

—0—

विषयांतर्गत जिले में WDC-PMKSY 2.0/1 परियोजनांतर्गत रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर कृषक नगर, लाभाण्डी, रायपुर का पत्र क्रमांक 735/रायपुर, दिनांक 18/10/2022 के निर्देशानुसार WDT सदस्य यांत्रिकी एवं WDT सदस्य समूह विकास के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जाना है।

अतः विज्ञापन एवं आवेदन का प्रारूप NIC के वेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु पत्र आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- विज्ञापन एवं आवेदन का प्रारूप।

उप संचालक कृषि
एवं सदस्य चयन समिति सचिव
परियोजना प्रबंधक (WCDC)
जिला - मुंगेली (छ.ग.)
मुंगेली, दिनांक ८/१/2025

पृ.क्र./ तक.-4/WCDC/संवि.नियु./2024-25/ ५७०८ मुंगेली, दिनांक ८/१/2025
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुंगेली की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. जनसंपर्क अधिकारी, जिला मुंगेली की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।

उप संचालक कृषि
एवं सदस्य चयन समिति सचिव
परियोजना प्रबंधक (WCDC)
जिला - मुंगेली (छ.ग.)
मुंगेली, दिनांक ८/१/2025



कार्यालय उप संचालक कृषि, सह परियोजना प्रबंधक WCDC
उप संचालक कृषि मुंगेली, जिला - मुंगेली (छ.ग.)

-:: विज्ञापन ::-

क्र./तक.-4/WCDC/विज्ञा./2024-25/ 4700

मुंगेली, दिनांक ...६.../०१/२०२५

छ.ग. शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का पत्र क्र./6982/80/2022/14-1 रायपुर, दिनांक 27.12.2022 एवं छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी (CGSWMA) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर कृषक नगर, लाभाण्डी, रायपुर का पत्र क्रमांक 735/रायपुर, दिनांक 18.10.2022/छ.ग.रा.ज.क्षे.प्र.ए.इ.न.लाभा. रायपुर का पत्र क्र./989/CGSWMA/22 रायपुर दिनांक 27.12.2022 के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धांत नई पीढ़ी वाटरशेड विकास परियोजनाएं 2021 के परिपालन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जलग्रहण विकास घटक - 2.0 (PMKSY-WDC-2.0/1) अंतर्गत वर्ष 2021-22 में जिले में स्वीकृत परियोजना अंतर्गत कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक मुंगेली, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (PIA) हेतु अधोवर्णित पदों व उनके सम्मुख दर्शाए विवरण अनुसार संविदा नियुक्ति संबंधित निर्देश क्रमांक/एफ-2022-14-00146 दिनांक 23.09.2022 के तहत एक वर्ष की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विशेष योग्यता सहित वांछनीय अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 24/01/2025 को सायं 05:30 बजे तक संपूर्ण योग्यता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र.	स्वीकृत पद	पद संख्या	मैट्रिक्स वेतन/ एकमुश्त वेतनमान	न्यूनतम एवं वांछनीय अर्हता	चयन हेतु मेरिट अंक
1	2	3	4	5	6
1	WDT सदस्य (यांत्रिकी) PIA-स्तर अना. मुक्त-01	1	वेतन लेवल 10	न्यूनतम-बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी)/ बी.ई. सिविल/दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नॉलाजी एण्ड मैनेजमेंट विषय में। वांछनीय - मृदा एवं जल संरक्षण/ वानिकी/ शुष्क भूमि कृषि /उद्यानिकी /जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 70 कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर - 15 शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव - 15 उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव - 05 5 वर्ष तक का अनुभव - 10 5 वर्ष से अधिक का अनुभव - 15
2	WDT सदस्य (समूह विकास) PIA-स्तर अना. मुक्त-01	1	वेतन लेवल 08	न्यूनतम - एम.बी.ए. अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ग्रामीण प्रबंधन/विकास में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ सामाजिक कार्य (MSW)/ समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर वांछनीय- मृदा एवं जल संरक्षण /वानिकी/शुष्कभूमि कृषि/उद्यानिकी /जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए - 70 कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर- 15 शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव- 15 उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव- 05 5 वर्ष तक का अनुभव - 10 5 वर्ष से अधिक का अनुभव - 15

नोट :- आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय उप संचालक कृषि मुंगेली के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

नियम एवं शर्तें :-

1. WDC-PMKSY 2.0 अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु राज्य/ जिला स्तर पर राज्य के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र आमंत्रित किया जावेगा।
2. प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन समिति द्वारा सूक्ष्म जांच कर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार किया जावेगा।
3. तैयार मेरिट सूची से रिक्त पदों के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा।
4. मूल प्रमाण पत्रों की जांच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरान्त योग्य अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।
5. वेतन :-
 - 5.1 उपरोक्तानुसार संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।
 - 5.2 मासिक एकमुश्त राशि का निर्धारण वह होगा जो CGSWMA द्वारा समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
6. आरक्षण
 - 6.1 WDC-PMKSY 2.0 अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु शासन द्वारा यथा निर्धारित राज्य/संभाग/ जिला/ जनपद/ ग्राम पंचायत स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू होगा।
 - 6.2 आरक्षण रोस्टर अनुसार महिला/ भूतपूर्व सैनिक/ विकलांग अभ्यर्थी प्राप्त नहीं होने पर उसी प्रवर्ग के अभ्यर्थी से पद भरे जा सकेंगे।
7. आयु सीमा - शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु-सीमा एवं छूट लागू होगी।
8. नियुक्ति की अवधि - संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी। WDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि परियोजना अवधि के समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
9. अवकाश की पात्रता - संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णांकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
10. यात्रा भत्ता - संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गई है, उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।
11. प्रसूति अवकाश - शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
12. अन्य शर्तें - CGSWMA के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार शर्तें मान्य होंगे।
 - 12.1 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
 - 12.2 नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह के वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 - 12.3 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति शासकीय सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

13. जलग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केन्द्र (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) की भूमिका और उत्तरदायित्व— भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा जारी WDC-PMKSY 2.0 के गाईडलाईन के बिंदु क्रमांक 10.1.5 के अनुरूप होगी।
14. जलग्रहण विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) की भूमिका और उत्तरदायित्व — भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा जारी WDC-PMKSY 2-0 के गाईडलाईन के बिंदु क्रमांक 12.2 के अनुरूप होगी।
15. जलग्रहण क्षेत्र विकास दल के सदस्य हेतु नियमावली –
 1. जलग्रहण क्षेत्र विकास दल के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु जिले स्तर पर गठित WCDC एवं राज्य स्तर पर गठित CGSWMA के द्वारा जारी नियमों का पालन किया जायेगा।
 2. WDT को PIA/WCDC/CGSWMA के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
 3. WDT की नियुक्ति पूर्णतः संविदा के रूप में अस्थायी मानी जायेगी एवं WDT सदस्य द्वारा किसी भी स्थिति में नियमित सेवा के लिए नियोक्ता को बाध्य नहीं किया जा सकेगा।
 4. WDT की नियुक्ति के दौरान WDT सदस्य को 18 दिन की आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिन की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त अवकाश की स्थिति में मासिक वेतन से अनुपात अनुसार वेतन कटौती की जावेगी।
 5. WDT की नियुक्ति के दौरान कुल एक मुश्त मासिक संविदा वेतन आदेश अनुसार देय होगा।
 6. WDT सदस्य माह में अधिकतम 20 दिवस तक PIA के द्वारा निर्देशित परियोजना क्षेत्रों के दौरे में रहेंगे। WDT द्वारा उनके सप्ताह के भ्रमण के दौरान की गई कार्यों का विवरण (Tour Diary) PIA को सौंपेंगे तदनुसार PIA द्वारा नियमानुसार (छ.ग. शासन के यात्रा भत्ता के समकक्ष) उनके यात्रा देयक पर भुगतान परियोजना के प्रशासनिक मद से किया जावेगा।
 7. WDT के परियोजना क्षेत्रों में दौरे के दौरान बीमार अथवा घायल होने की स्थिति में PIA द्वारा किसी भी तरह के मुआवजा भत्ता (Compensation) WDT को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
 8. WDT की नियुक्ति PIA एवं WDT के मध्य समझौता ज्ञापन के आधार पर होगा। जिसमें इस बात का उल्लेख होगा की किसी भी स्थिति में WDT द्वारा WDT का पद छोड़ने के पूर्व समस्त लेखा संधारण/ रिकार्ड/ दस्तावेज संबंधित PIA को सौंप कर जावेगा।
 9. WDT पद छोड़ने के एक माह पूर्व तत्संबंधी सूचना PIA को देगा, अन्यथा एक माह का वेतन PIA के प्रशासनिक खातों में जमा कर कार्य मुक्त हो सकता है।
 10. WDT द्वारा संबंधित PIA को माह के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं तीन माह में एक बार त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जावेगा।
 11. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी का निर्णय मान्य होगा।


 उप सचिव, कृषि
 एवं सदस्य चयन समिति सचिव
 परियोजना प्रबंधक (WCDC)
 जिला – मुंगेली (छ.ग.)